


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
जुहरू बनाम अहमद

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5.22	<p>आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।</p> <p>अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.6.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी ख0 सं0 हाल 270 रकबा 0.1400 हे0 वाके ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर पर आगामी पेशी तक मौका की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 15.6.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर) </p> <p>15.6.22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. राहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 3-8-22 को पेश हो।</p>	

- 3-8-22 वकील प्रार्थी उप0 वास्ते इंतजार तामील में दिनांक 9-11-22 को पेश हो। ✍
- 9-11-22 वकील प्रार्थी उप0 वास्ते इंतजार तामील दिनांक 14-11-22 को पेश हो। ✍
- 14-11-22 वकील प्रार्थी उप0 वास्ते इंतजार तामील दिनांक 19-11-22 को पेश हो। ✍

19-11-23 पत्रावली पोस्टाई वापस का मूलकाद अयम धरि
अयम पत्रावली में खासि किया जाता है पत्रावली
फोर्सल सुमार चकर सलकाद खासि लेख भण्डार
हो चुका है अतः प्रार्यनापन भी खासि किया जाता
है। फोर्सल सुमार चकर सलकाद मूलकाद रहे।
स